रजिस्ट्री सं. डी.. (डी.एन.)-72 REGISTERED No. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 85] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 18, 1986/माघ 29, 1907
No. 85] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 18, 1986/MAGHA 29, 1907

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, 18 फरवरी, 1986

शुद्धिपत्र

बीमा

सा.का.नि. 303(अ) :—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) तारीख 12 अक्तूबर, 1985 में प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 794 (अ) तारीख 11 अक्तूबर, 1985 में,—

1. पृष्ठ 2, नियम 2(ख) की पहली पंक्ति में, "कर रहा का कर्मचारी" शब्दों के स्थान पर "कर रहा कर्मचारी" पढ़ें।

2. पृष्ठ 2, नियम 4 की पंक्ति 3 के पश्चात् और टिप्पण से पूर्व की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :—

"1(i) क्षेत्रीय प्रबन्धक/केन्द्रीय कार्यालयों में विभागों के प्रमुख	(क) साधारण वेतनमान : 3725-125-4350 रु.
(ii) मुख्य इंजीनियर/मुख्य वास्तुविद	(ख) चयन वेतनमान : 4100-12-4600 रु."

3. पृष्ठ 2, नियम 4 में पंक्ति 20 से 35 तक की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :—

"2(i) उप क्षेत्रीय प्रबन्धक/वरिष्ठ मण्डल प्रबन्धक और केन्द्रीय कार्यालय के सचिव/ वीमांकक/लेखाकार।	3245-110-3685-115-3800 रु.
(ii) उपयुख्य इंजीनियर/उप मुख्य वास्तुविद	

3(i) मण्डल प्रबंधक और क्षेत्रीय कार्यालयों के सचिव/बीमांकक/लेखाकार/केन्द्रीय कार्यालय के उपसचिव (लेखा परीक्षा और निरीक्षण)/उप सचिव/उप बीमांकक/उप लेखाकार ।	2715-105-3450 रु.
(ii) अधीक्षण इंजीनियर/वरिष्ठ कार्य सर्वेक्षक/वरिष्ठ वास्तुविद	

4. पृष्ठ 2, स्तंभ 2 की पंक्ति 6 में, "सर्वेक्षक" के स्थान पर "सर्वेक्षक" पढ़ें ।

5. पृष्ठ 2, नियम 5 की पंक्ति 6 में "सं. 332-100" के स्थान पर "सं. 332=100" पढ़ें ।

6. पृष्ठ 2, नियम 5 के उपनियम (2) के खंड (1) की पहली पंक्ति में "अनिधिक" के स्थान पर "अनधिक" पढ़े तथा दूसरी पंक्ति में "तैमासिक" के स्थान पर "त्रैमासिक" पढ़ें ।

7. पृष्ठ 2, नियम 5 के उपनियम (2) की पहली पंक्ति में "रु. 1600" के स्थान पर "1600 रु." पढ़ें और चौथी पंक्ति में "नैमासिक" के स्थान पर "त्रैमासिक" पढ़े ।

8. पृष्ठ 2, नियम 5 के उपनियम (3) की दूसरी पंक्ति में "तैमासिक" के स्थान पर "त्रैमासिक" पढ़ें ।

9. पृष्ठ 3, नियम 5 के उपनियम 3(ख) की पहली पंक्ति में "किस" के स्थान पर "किसी" पढ़ें तथा दूसरी पंक्ति में भी "किस" के स्थान पर "किसी" पढ़ें तथा "भ" के स्थान पर "भी" पढ़ें ।

10. पृष्ठ 3, नियम 5 : 4(क) पांचवीं पंक्ति में "नचे" के स्थान पर "नीचे" पढ़ें तथा

4(ख) की पहली पंक्ति में "ने चे क ओर पुनरक्षण" के स्थान पर "नीचे की ओर पुनरीक्षण" पढ़ें तथा चोथी पंक्ति में "ठक" के बजाय "ठीक" तथा "प्रगाम" के स्थान पर "प्रगामी" पढ़ें ।

11. पृष्ठ 3, नियम 6 के उपनियम (1) की तीसरी पंक्ति में "का" के स्थान पर "की" तथा "म" के स्थान पर "मे" पढ़ें ।

12. पृष्ठ 3, नियम 6 के उपनियम (2) की पहली पंक्ति में "श्रेण अधिकार" के स्थान पर "श्रेणी अधिकारी" पढ़ें तथा दूसरी पंक्ति के आरम्भ में "किम मकान" के स्थान पर "किसी मकान" पढें और पंक्ति तीन में "समुचत" के स्थान पर "समुचित" पढ़ें तथा इसकी अन्तिम पंक्ति में "संदय करेंगे" के स्थान पर "संदाय करेंगे" पढ़ें ।

13. पृष्ठ 3, नियम 7 के उपनियम (क) में पहली पंक्ति में "श्रेण 1 के अधिकार" के स्थान पर "श्रेणी 1 के अधिकारी" तथा "अबाद" के स्थान पर "आवादी" और "पणजा" के स्थान पर "पणजी" और "नगरय क्षेत्रों" के स्थान पर "नगरीय क्षेत्रों" पढ़ें तथा

14. पृष्ठ 3, नियम 7 के स्पटीकरण में, "स्पटीकरण" के स्थान पर "स्पष्टीकरण" पढ़ें तथा दूसरा पंक्ति मे "आबाद" के स्थान पर "आवादी" पढ़ें ।

15. पृष्ठ 3, नियम 8 : : पहली पंक्ति में "परिवक्षाधीन अधिकार या अस्थाय आधार" के स्थान पर "परिवीक्षाधीन अधिकारी या अस्थायी आधार" पढ़ें और तीसरी पंक्ति में "अधिकारी में भिन्न प्रत्येक श्रेणी" के स्थान पर "अधिकारी से भिन्न प्रत्येक श्रेणी" पढ़ें तथा चौथी और पांचवी पंक्ति में "8½ प्रतिशत का दर में" के स्थान पर "8½ की दर से" पढ़ें तथा इस नियम की सातवीं पंक्ति में "अधिकार" के स्थान पर "अधिकारी" पढ़ें ।

16. पृष्ठ 3, नियम 8 उपनियम (2) की दूसरी पंक्ति मे "क्षेणी" के स्थान पर "श्रेणी" पढ़ें तथा इसी पंक्ति में क्रमशः "अधिकार" तथा "कम्पन" के स्थान पर "अधिकारी" तथा "कम्पनी" पढ़ें और चौथी तथा पांचवीं पंक्ति में "जोर" के स्थान पर "जारी", "हकदार होगे" के स्थान पर "हकदार होंगे" पढें ।

17. पृष्ठ 3, नियम 8— के उपनियम (3) की पहली पंक्ति में "निर्दिट" को "निर्दिष्ट" पढ़ें ; तीसरी पंक्ति के आरम्भ में "कि" के स्थान पर "किए" पढ़ें । इसी पंक्ति में आगे "कर्मचारियो का बाबत" के स्थान पर "कर्मचारियों की बाबत" पढ़ें तथा अन्तिम पंक्ति में "करने का अपेक्षा नहीं होगा" के स्थान पर "करने की अपेक्षा नहीं होगी" पढ़ें ।

18. पृष्ठ 3, निगम 9— के उपनियम 1 (क) की पहली पंक्ति में "ऐसा स्थाय क्षेण 1 अधिकार" के स्थान पर "ऐसा स्थायी श्रेणी 1 अधिकारी" पढ़ें। तीसरी पंक्ति में "कर्मचारियों का बाबत परिवक्षा" के स्थान पर "कर्मचारियों की बाबत परिवीक्षा" पढ़ें ; चौथी पंक्ति में तीन स्थानों पर "क" के स्थान पर "की" पढ़ें । इसी पंक्ति में "नियगम" के स्थान पर "निगम" पढ़ें । अगली पंक्ति में "बमाकर्ता" के स्थान पर "बीमाकर्ता" पढ़ें और इसी पंक्ति में "वेतनिक मेवा भ" के स्थान पर "वैतनिक सेवा भी" पढ़ें ।

19. पृष्ठ 3, नियम 9— के उपनियम 1 (क) के (2) को विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित पढ़ें :

"(2) जो स्वेच्छा से निगम की सेवा मे त्यागपत्र देता है," ;

इसके बाद वाली पंक्ति में "स्थाय" के स्थान पर "स्थायी", "श्रेण" के स्थान पर "श्रेणी" तथा "अधिकार" के स्थान पर "अधिकारी" पढ़ें; (ख) (1) में "जिसक" के स्थान पर "जिसकी" पढ़ें ; इस पंक्ति के पांचवें शब्द "का" का लोप करें । इसके पश्चात् इसी पंक्ति में "जाता" के स्थान पर "जाती" पढ़ें;

(ii) में "क" के स्थान पर "की" पढ़ें ;

(iii) में क्रमश: "जिसक", "बमार", "किस" और "ऐस" के स्थान पर "जिसकी", "बीमारी", "किसी" और "ऐसी" पढ़ें ।

20. पृष्ठ 3, नियम 9— उपनियम (ख) में (4) के स्थान पर (IV) पढ़ें ; इसीमें "जिसका" के स्थान पर "जिसकी" तथा "कर्मचार" के स्थान पर "कर्मचारी" पढ़ें ;

21. पृष्ठ 3, नियम 9— के उपनियम (2) में—

"उपनियम (1) के अधन अनुज्ञेय" के स्थान पर "उपनियम (1) के अधीन अनुज्ञेय" पढ़ें ; तीसरी पंक्ति में "मेवा भी सम्मिलित" के स्थान पर "सेवा भी सम्मिलित" पढ़ें ;

चौथी पंक्ति में "मे देय होगा" के स्थान पर "से देय होगा" तथा "30 वर्ष का" के स्थान पर "30 वर्ष की" पढ़ें;

अन्तिम पंक्ति में "मेवान्त" के स्थान पर "सेवान्त" पढ़ें;

22. पृष्ठ 3, नियम 9— के उपनियम (3) पांचवीं पंक्ति में "मेवा" को "सेवा" पढ़ें;

23. पृष्ठ 3, नियम 9— उपनियम 5(1) में दूसरी पंक्ति में "प्रबन्धतंत्र" के स्थान पर "प्रबन्धतंत्र" पढ़ें तथा तीसरी पंक्ति में "कमचारियों" के स्थान "कर्मचारियों" पढ़ें ।

[फा. सं. 2(6)/आईएनएस-III/85]

ए. सी. सेन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

New Delhi, the 18th February, 1986

CORRIGENDA

INSURANCE

G.S.R. 303(E). In the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Economic Affairs) No. GSR 794(E) dated the 11th October, 1985, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) dated the 12th October, 1985,—

(1) at page 4, in the second column, in lines 26 to 34,

for

"1. (i) Zonal Managers Chiefs of Departments at Central Office	(a) Ordinary Scale : Rs.3725-125-4350
(ii) Chief Engineer/Chief Architect	(b) Selection Scale : Rs.4100-125-4600"

read

"1. (i) Zonal Managers/Chiefs of Departments at Central Office. (ii) Chief Engineer/Chief Architect.	(a) Ordinary Scale : Rs.3725-125-4350 (b) Selection Scale : Rs.4100-125-4600";

(2) at page 5, in the first column, in lines 37 to 56,

for

"(i) Assistant Divisional Managers/Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/Assistant Actuaries, Assistant Accountants at the Central Office and Zonal Office.	Rs.2250-100-3250'
(ii) Executive Engineers, Surveyors of Works, Deputy Senior Architects.	

read

"(i) Assistant Divisional Managers/Senior Branch Managers and Assistant Secretaries/Assistant Actuaries/Assistant Accountants at the Central Office and Zonal Office. (ii) Executive Engineers/Surveyors of Works/Deputy Senior Architects.	Rs.2250-100-3250",

(3) at page 5, in the first column, in lines 57 to 60, and in the second column, in lines 1 to 7,

for

"(i) Branch Managers/Administrative Officers.	Rs.1625-100-2725".
(ii) Assistant Executive Engineers/Assistant Surveyors of Works/Architects.	

read

"(i) Branch Managers/Administrative Officers (ii) Assistant Executive Engineers/Assistant Surveyors of Works/Architects.	Rs.1625-100-2925".

(4) at page 5, in the second column,—

(a) in line 28 *for* "1960-100", *read* "1960 = 100";

(b) in line 52 *for* "in", *read* "of",

(5) at page 6, in the second column,—

(a) in line 2, *for* "on", *read* "of":

(b) in line 47, *for* "Officers", *read* "Officer";

(c) in lines 51 and 52, *for* 'Corporatio", *read* "Corporation";

(6) at page 7, in the second column, in line 7, *for* "(b)", *read* "(5)".

[F.No. 2(6)/Ins.III/85]

A. C. SEN, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986